

04-03-15

समय 1:50 बजे

अपीलार्थी अनुपस्थित।

प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा श्री रघुराज पाल अधिवक्ता उपस्थित।

1- अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री यू.एस.पचोली को बुलवाया गया, उन्होंने कहा कि पक्षकार उनसे फाईल वापस ले गया है इसलिए वे आज इस मामले में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

2- अपीलार्थी को पुकार लगाने पर उपस्थित नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

3- उभय पक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

4- अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

5- तदनुसार व्यय तालिका बनाई जाये।

परिणाम अंकित कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाये।

सही / -

(वी.के.दुबे)

जिला न्यायाधीश, बैतूल